उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–9
संख्या–3026/5–9–07–9(37)/07
लखनऊ : दिनांक : 05 सितम्बर, 2007

## कार्यालय ज्ञाप

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नागरिकों विशेषतः निर्धन वर्ग तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित वर्ग को सुलभ, प्रभावी एवं गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। समुदाय विशेष के निर्धन वर्ग तथा महिलाओं की आवश्यकताओं, हितों एवं अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये शासनादेश सं0–2752/5–9–06–9(285)/04–टी.सी.–1, दिनांक 16.11.06 को अतिक्रमित करते हुये प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का निम्नवत गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

### समिति का संघटन

समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य निम्नानुसार होंगे:–

1. ग्राम प्रधान – अध्यक्ष
2. समिति के सदस्यों में महिलाओं का कम से कम 50% प्रतिनिधित्व होगा।
3. निर्धन वर्ग के परिवार – विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये राजस्व गांव के प्रत्येक पुरवे/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति में अवश्य किया जायेगा।
4. इन समितियों में गैर–सरकारी संगठनों को भी न्यूनतम 30% प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।
5. महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं एवं गतिविधियों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये महिलाओं के स्वयं–सहायता समूहों को भी इस समिति में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

### 2. अभिमुखीकरण एवं प्रशिक्षण

प्रदेश की समस्त ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समितियों के गठन के पश्चात् इन समितियों द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा सके इसके लिये उन्हें समुचित प्रशिक्षण एवं अपेक्षित गतिविधियों की जानकारी दी जायेगी।

3. **ग्रास्य स्वास्थ्य फण्ड**

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति वार्षिक Untied Grant – रू0 10,000/– हेतु अधिकृत होंगी। यह धनराशि निम्न गतिविधियों हेतु व्यय की जायेगी:–

1. इस धनराशि का उपयोग आवर्ती कोष के रूप में किया जायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद परिवार इसमें से धनराशि आहरित कर किश्तों में उस धनराशि को वापस कर सकें।

2. ग्राम स्तरीय जन स्वास्थ्य गतिविधियां – यथा स्वच्छता अभियान, आरोग्यकारी गतिविधियां, Waste & Sewage Disposal Management, स्कूल स्वास्थ्य गतिविधियां, आंगनबाड़ी स्तर की गतिविधियां, परिवार सर्वेक्षण आदि कार्यों का सम्पादन।

3. असामान्य परिस्थितियों में किसी निर्धन परिवार या असहाय महिला की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता के लिये इस कोष का समिति द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

4. स्थानीय स्तर पर सामुदायिक गतिविधियों के लिये Untied Fund एक ऐसा स्त्रोत है जिसका उपयोग केवल उन्हीं क्रियाकलापों के लिये किया जाय जो एक से अधिक परिवारों के लाभ के लिये किये जायें। समुदाय के पोषण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिये इस फण्ड का उपयोग किया जा सकेगा।

5. ग्राम स्वास्थ्य समिति के फण्ड में प्रत्येक ग्राम द्वारा आर्थिक योगदान दिया जा सकता है। ऐसे गांवों में जहाँ स्थानीय समुदाय के द्वारा ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के रू0 10,000/– के Untied Fund में आर्थिक योगदान किया गया है, ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहायता एवं प्रोत्साहन दिये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। Untied Grant का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित किया जाना है जिनसे ग्रामीण स्तर की जन स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें।

4. **बैंक खातों का प्रबन्धन**

ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की धनराशि बैंक खाते में रखी जायेगी, जिसका संचालन पूर्व में ए.एन.एम. एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता था, के स्थान पर अब उस खाते का संचालन **ए.एन.एम. एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा**। इस संयुक्त खाते के प्रबन्धन की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, विशेष रूप से आशा की होगी। ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के आय/व्यय का विवरण आशा द्वारा एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा। यह रजिस्टर सामान्य जनता द्वारा देखे जाने के लिये उपलब्ध होना चाहिये एवं समय–समय पर ए.एन.एम. /बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ग्राम पंचायत द्वारा इसका निरीक्षण किया जाना चाहिये।

5. **उत्तरदायित्व**

- प्रत्येक ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के स्तर पर अद्यतन परिवार सर्वेक्षण आंकड़े रखे जायेंगे ताकि मांग–जनित कार्यक्रमों के लिये उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।

- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा की गयी कार्यवाही, व्यय की गयी धनराशि आदि का विवरण जनसामान्य के देखने के लिये एक रजिस्टर में अंकित किया जायेगा एवं समय–समय पर ए.एन.एम. / सरपंच द्वारा इसका निरीक्षण किया जायेगा।

- ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति द्वारा किये गये कार्यों के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति द्वारा की जायेगी।

- जनपद स्तरीय मिशन की बैठकों में मिशन के सदस्यों / ब्लॉक स्तरीय समन्वयक (जहॉ आशा तैनात हैं) के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के कार्यों के संबंध में स्पष्ट सूचना प्राप्त करायी जायेगी।

- जनपद स्तरीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति के क्रियाकलापों का एक Data Base भी तैयार किया जायेगा।

अरूण कुमार मिश्र
प्रमुख सचिव

संख्या–3026 / 5–9–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें / परिवार कल्याण / चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्यजीत ठाकुर)
सचिव